सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-112/प्रेस नोट/2021 01मार्च 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-रानी की सराय

लगभग डेढ़ किलो ग्राम अवैध गाँजा तस्कर करने वाला गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध गांजा व शराब की तस्करी करने वालो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रमं मे दिये गयेनिर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक श्री दिलीप कुमार सिंह थाना रानी की सराय आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व कुशल नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराहीयान थाना रानी की सराय आजमगढ देखभाल क्षेत्र चेकिग संदिग्ध वाहन हेतु क्षेत्र गस्त ग्राम कोटिला तिराहे पर मौजूद थे कि ईगल मोबाईल मे लगे का0 अमित वर्मा का0 राकेश कुमार आये पुलिस वाले आपस मे अपराध एवं अपराधियो के बारे मे बात कर रहे थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना दिया कि एक व्यक्ति कोटिला नहर पर आंवक जाने वाले मार्ग के पुलिया के पास खड़ा है जो किसी का इन्तजार कर रहा है यदि जल्दी किया जाए तो अपने साथ लिए झोले मे नजायज गाजा केसाथ पकडा जा सकता है। इस मुखबिरी सुचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही गण के साथ मुखवीर मय हमराही गण के साथ कोटिला नहर आवक जाने वाले मार्ग पर पहुच कर कुछ दुर पहले मुखवीर खास रुक गये और पुलिया के पास खडा व्यक्ति की इशारा करके बताया कि वह जो व्यक्ति एक झोला लिए खडा है वह वही व्यक्ति है जो गाजा लिया है और मुखबीर वापस चला गया। कि उ0नि0 व मय हमराही गण के प्रशिक्षणाधीन तरीके से एक वारगी दविश देकर घेर कर उस व्यक्ति को वही पर मय झोला के रोक लिया गया और उससे कहा गया कि आप के पास नशीला पदार्थ होने की हमारे पास सूचना है अतः आप को अपनी गिरफ्तारी किसी राजपत्रित अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष देने का कानूनी अधिकार है और आप को वहाँ ले चलते है आप अपनी तलाशी उनको वहाँ देना है इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास झोले गांजा है और आप ने पकड़ भी लिया है तो मै अपनी तलाशी देने कही नही जाना चाहता हुँ मुझे आप पर पुरा भरोसा है आप ही तलाशी ले लिजिए इतना कहने पर सहमति पत्र बनाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तसे नाजायज गांजा रखने के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि साहब हम यह तस्करी पैसे के लिये करते हैं जिससे अपना जीवकोपार्जन करते हैं। अपना जुर्म कबूल कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग–मु0अ0सं0- 16/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्टथाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-अब्दुल्ला पुत्र अब्बुल खैर निवासी ग्राम आंवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 01 किग्रा0 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

2. का0 अमित वर्मा थाना रानी की सराय जनपदआजमगढ़

3.का0 राकेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया

नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकर करने वाला गिरफ्तार

के दिनांक 01/03/2021 को उ0नि0 सौरभ सिंह मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पजीकृत अभियोग 38/20 धारा 354/504/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 1.अभियुक्त गोलू गौड़ पुत्र केशव गौड़ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदियापार थाना अतरौलिया आजमगढ द्वारा नाबालिक लड़की उम्र करीब 16 वर्ष थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ अपने घर से प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आती जाती है, प्रार्थिनी को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करता है प्रार्थिनी के बारबार मना करने के बाद भी उसकी आदत में कोई सुधार नही हो रहा है | प्रतिवादी ने प्रार्थिनी की साइकिल पकड़ लिया और प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकत करने लगा | प्रार्थिनी ने जब शोर किया तो आसपास के लोगो को आता देख गोलू गौड़ यह धमकी देते भाग गया कि अगर तुम मेरी बात नही मानोगी तो मै तुम्हारी जिन्दगी बरबाद कर दूंगा तुम्हारा फोटो और वीडियो मै वायरल करके कही भी तुम्हारी शादी नही होने दूंगा | तथा बारबार गाली व धमकी देने के सम्बन्ध में है , पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह (IPS), अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा संज्ञान लेकर विवेचक को निर्देशित किया गया कि मुकदमे में नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करे के सम्बन्ध में SI सौरभ कुमार सिंह मय हमराह क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग के अभियान के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गोलू गौड़ पुत्र केशव गौड़ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदियापार थाना अतरौलिया आजमगढ को रोडवेज बस स्टैंड अतरौलिया के पास से समय 8.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है || गिरफ्तारी की सूचना जरिये उचित माध्यम अभियुक्त के भाई रिंकू को दी गयी |

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 38/20 धारा 354/504/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट**अपराधिक इतिहास** – NIL

गिरफ्तार अभियुक्त – गोलू गौड़ पुत्र केशव गौड़ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदियापार थाना अतरौलिया आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - SI सौरभ कुमार सिंह, का0 रामाशीष प्रजापति, का0 सत्येन्द्र गुप्ता

थाना- महराजगंज

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

प्रार्थिनी ममता देवी पत्नी विजय प्रकाश ग्राम- देवारा कदीम (नहरुमपुर) थाना- कोत0 महाराजगंज तह0- सगड़ी , जिला- आजमगढ़ की मूल निवासी है। प्रार्थीनी की लड़की सलोनी पुत्री विजय प्रकाश शर्मा उम्र 17 वर्ष कल दिनांक 19.01.021 को शाम लगभग 4 बजे घर से महराजगंज कपड़ा खरीदने आई थी वापस घर नहीं पहुंची , तो प्रार्थिनी व परिवार वाले तभी से खोज बीन कर पता लगा रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चला।

दिनांक-27.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 मय हमराह आरक्षी कलामुद्दीन अंसारी व महिला आरक्षी सपना के साथ वादिनी मुकदमा व उसके पति द्वारा बताये गये पीड़िता की तलाश व आरोपी की तलाश में दिनांक 27.02.21 को थाना हाजा से प्रस्थान कर जनपद सुपौल बिहार अन्तर्गत थाना कुनौली ओपी डगमारा आया , तथा वास्ते पीड़िता सलोनी शर्मा की बरामदगी व आरोपी धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धीरेन्द्र कुमार मण्डल की गिरफ्तारी में सहयोग करने हेतु एक लिखित प्रा0 पत्र पुलिस पदाधिकारी को दिया गया, जिस पर पुलिस पदाधिकारी डगमारा अमरेन्द्र कुमार मय फोर्स को साथ लेकर पीड़िता सलोनी की बरामदगी हेतु धर्मेन्द्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र कुमार मण्डल पुत्र शंकर मंडल सा0 राजपुर पोस्ट डगमारा वार्ड नं0 01 के घर पर आया, जहां पर पीड़िता सलोनी शर्मा उक्त आरोपी धर्मेन्द्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र कुमार मण्डल के घर पर उसके साथ मौजूद मिली। पीड़िता सलोनी शर्मा उपरोक्त को महिला आरक्षी सपना के सहयोग से हिरासत में लिया गया तथा आरोपी धर्मेन्द्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र कुमार मण्डल उपरोक्त को उसके अपराध के बारे में अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में मा0 मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए दिनांक 27.02.21 को समय करीब 23.15 बजे लिया गया। आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना मौके पर मौजूद उसके पिता शंकर मण्डल को दी गयी।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र कुमार मण्डल पुत्र शंकर मंडल सा0 राजपुर पोस्ट डगमारा वार्ड नं0 01 थाना कुनौली जनपद सुपौल बिहारजूर्म स्वीकार करते हुए अपना सफाई अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 17/21 धारा 363 IPC , थाना-महाराजगंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- धर्मेन्द्र कुमार मंडल उर्फ धीरेन्द्र कुमार मण्डल पुत्र शंकर मंडल सा0 राजपुर पोस्ट डगमारा वार्ड नं0 01 थाना कुनौली जनपद सुपौल बिहार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SHO श्री गजानन्द चौबे,उ0नि0 हौसिला सिंह, आरक्षी कलामुद्दीन अंसारी व महिला आरक्षी सपना

थाना देवगाँव

02 वारण्टी गिरफ्तार

दिनांक 01.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना देवगाँव के कुशल नेतृत्व मे उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह चौकी प्रभारी लालगंज मय हमराह क्षेत्र मे मामुर होकर तलाश वांछित /तामिला NBW के क्रम मे मु0अ0स0 6864/2005 धारा 379/411 भादवि वारण्टी अभियुक्तगण 1- अनिल कुमार पुत्र बद्री 2- राजकिशोर पुत्र रामसमुझ मिस्त्री नि0गण रविदास नगर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़की तलाश किया गया जो अपने घर मे मौजूद मिले जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.00 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग व मा0 न्यायालय के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय आजमगढ भेजा गया।